



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125291

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 470 वर्ष 2026

अनूप कुमार उर्फ प्रदीप यादव

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : प्रशांत कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पुनरीक्षित सूची में मामले को पुकारा गया। नोटिस तामील होने के बावजूद, अपीलकर्ता की ओर से इस अपील को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार सिंह और राज्य की ओर से एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है। इसमें कानपुर नगर के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, 1989) द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4775/2025 (अनूप कुमार उर्फ प्रदीप यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में 05.12.2025 को पारित जमानत खारिज करने के आदेश को रद्द करने और अपीलकर्ता को उक्त मामले में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है। यह मामला मुकदमा अपराध संख्या 184/2025 से संबंधित है, जो बीएनएस की धारा 109(1) और एससी/एसटी पी.ए. अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)5 के तहत थाना बिधनू, जिला कानपुर नगर में दर्ज है।

4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 08.08.2025 को रात लगभग 08:00 बजे, आरोपी प्रदीप यादव ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के बेटे जितेंद्र कोरी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। आरोपियों ने घायल व्यक्ति को बेरहमी से पीटा और उसके चेहरे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें पहुंचाईं। हमले के दौरान, उसकी एक आंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, उसका मुंह बुरी तरह फट गया और उसे कई गंभीर चोटें आईं।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि घायल व्यक्ति, जो शिकायतकर्ता का पुत्र है, अपीलकर्ता के स्वामित्व वाले ऑटो रिक्शा में चालक के रूप में कार्यरत था। यह दावा किया गया है कि कुछ विवादों के कारण, घायल व्यक्ति ने बाद में अपीलकर्ता का ऑटो रिक्शा चलाने से इनकार कर दिया, और परिणामस्वरूप, वर्तमान अभियोजन कहानी मुखबिर द्वारा झूठी गढ़ी गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि घायल व्यक्ति को लगी चोटों से संबंधित शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है। रिकॉर्ड में मौजूद चोट की रिपोर्ट, जो उत्कर्ष हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम, कानपुर नगर द्वारा जारी की गई है, बताती है कि घायल व्यक्ति को पाँच चोटें आईं; इन सभी को टॉके वाले घाव बताया गया है, जिनमें दाहिनी भौंह और ठुड़ी के निचले हिस्से पर लगी चोटें शामिल हैं। अधिवक्ता का कहना है कि ये चोटें वैसी ही हैं जैसी किसी दुर्घटना या गिरने से लग सकती हैं। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में दिखाई गई चोटों की प्रकृति को देखते हुए, अपीलकर्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसा कि जमानत अर्जी के समर्थन में दायर हलफनामे के पैरा नंबर 26 में बताया गया है, और वह 14.08.2025 से जेल में बंद है।

7. इसके उलट, राज्य के अधिवक्ता ने अपील और जमानत की अर्जी का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य को नकार नहीं सके।

8. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद - जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में बताई गई चोटों की प्रकृति, शुरुआती चोट की रिपोर्ट का न होना, अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास न होना, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, सबूतों की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना दिखाने वाले किसी ठोस सबूत का न होना शामिल है - और मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अपीलकर्ता - **अनूप कुमार उर्फ प्रदीप यादव** को उक्त मुकदमा अपराध संख्या के मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो ज़मानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमा करे। साथ ही, न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:-

- i) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- ii) अपीलकर्ता न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, हर तारीख पर न्यायालय में पेश होगा और मुकदमे के निस्तारण में किसी भी तरह की देरी नहीं करेगा।
- iii) अपील करने वाले को यह अंडरटेकिंग (लिखित वचन) देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।
- iv) अपील करने वाला ज़मानत की आज़ादी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर अपील करने वाला विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा 84 / सीआर.पी.सी.की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर अपील करने वाला ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार बीएनएस की धारा 209 / आई.पी.सी.की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



v) अपील करने वाले व्यक्ति को विचारण न्यायालय के सामने तय तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा, जो इन कामों के लिए तय की गई हैं: (1) मुकदमा शुरू करना, (2) आरोप तय करना और (3) धारा 251 बीएनएसएस/313 सीआर.पी.सी.के तहत बयान दर्ज करना। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि अपील करने वाले का न आना जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है; साथ ही, विचारण न्यायालय सेक्शन 269 बीएनएस/229-ए आईपीसी के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

vi) विचारण न्यायालय अपील करने वाले की रिहाई के बाद विचारण को तेज़ी से पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर सकता है।

10. ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और रिहायशी पते के सबूत की जांच संबंधित न्यायालय करेगा और ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय ज़मानत रद्द करने और अपील करने वाले को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. इस तरह, अपील सफल होती है और इसे मंज़ूर किया जाता है।

12. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, कानपुर नगर द्वारा 05.12.2025 को पारित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

4 जून, 2026

अकबर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।